वाणिज्य कर अपील अधिकरण, उत्तराखण्ड, दो सदस्यीय पीठ–देहरादून

उपस्थित : मलिक मजहर सुलतान,एच०जे०एस०.....अध्यक्ष,

विपिन चन्द्र.....सदस्य,

द्वितीय अपील सं०: 51 / 2024 (2005–2006) अक्टूबर 2005 धारा 4(7)(e)

सर्वश्री फोनिक्स लैम्प लि0
नया नाम– सर्वश्री होलोनिक्स टैक्नोलॉजिज प्रा0 लि0 सेलाकुई देहरादून
बनाम
आयुक्त वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड, देहरादून

अपीलार्थी की ओर से : श्री बी0एस0 रावत, श्री वीरेन्द्र असवालतथा श्री राहुल रावत .....अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी की ओर सेः श्री भुवन चन्द्र पाण्डे.....उपायुक्त एवं राज्य–प्रतिनिधि।

–: निर्णय :–

मलिक मजहर सुलतान, अध्यक्ष

प्रस्तुत द्वितीय अपील उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 53 के अन्तर्गत, अपीलार्थी सर्वश्री फोनिक्स लैम्प लि0, नया नाम– सर्वश्री होलोनिक्स टैक्नोलॉजिज प्रा0 लि0 सेलाकुई देहरादून (जिसे आगे व्यापारी कहा जाएगा) ने संयुक्त आयुक्त (अपील) राज्य कर, उत्तराखण्ड, मुख्यालय, देहरादून (जिसे आगे प्रथम अपीलीय प्राधिकारी कहा जायेगा) द्वारा प्रथम अपील संख्या संख्या–395 / 2008 (वर्ष 2005–06, अक्टूबर धारा–4(7)(e)) में पारित किये गये आदेश दिनांक 29–04–2024, के विरूद्ध इस अधिकरण में दिनांक 11–07–2024 को दायर की गयी हैं। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा व्यापारी की उक्त अवधि हेतु दायर अपील अस्वीकार करते हुए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा–4(7)(e) के अन्तर्गत पारित अर्थदण्ड आदेश दिनांक 07.06.2008 का समर्थन किया गया है। इस अपील में विवादित अर्थदण्ड की राशि रु0 5,43,256 / – निहित है।

2. वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि व्यापारी विभाग में ऑटो बल्ब एवं इलैक्ट्रिकल लैम्प के निर्माण एवं बिक्री के व्यवसाय हेतु पंजीकृत हैं। व्यापारी धारा 4(7)(b) के अन्तर्गत मान्यता प्रमाण–पत्र धारक इकाई है, जो प्ररूप –XI के विरूद्ध रियायती दर से कच्चे माल अथवा पैकिंग मैटिरियल की खरीद किये जाने हेतु अधिकृत हैं। संगत अवधि (अक्टूबर 2005) में व्यापारी द्वारा कच्चे माल तथा पैकिंग मैटिरियल की रियायती दर से खरीद प्ररूप –XI के विरूद्ध की गयी है, तथा निर्मित माल ऑटो बल्ब / इलैक्ट्रिकल लैम्प का प्रांत बाहर स्टॉक ट्रांसफर किया गया है, जिसे कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 4(7)(e) के अन्तर्गत दण्डनीय मानते हुए अपने अर्थदण्ड आदेश दिनांक 07.06.2008 से रु0 5,43,256 / – अर्थदण्ड आरोपित किया गया है।

3. उक्त अर्थदण्ड आदेश से क्षुब्ध होकर व्यापारी द्वारा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष प्रथम अपील दायर की गयी, जिसे प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपने निर्णय दिनांक 29–04–2024 से अपास्त किया गया है। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा धारा **4(7)(e)** के अन्तर्गत निम्न विधिक व्यवस्था होने का उल्लेख करते हुए अपना मत दिया गया है –

> *"4(7)(e) Where a dealer in whose favour a Recognition Certificate has been granted under clause(b) has purchased "the goods" (the special category goods) or after packing such manufactured goods with such packing material after payment of tax at concessional rate or, as the case may be, without payment of tax under this sub-section and the goods manufactured out of such raw material procured or after packing such manufactured goods with such packing material are sold or disposed of other than by way of sale in the state or in the course of inter-state trade or commerce or in the course of export outside Indian territory, such dealer shall be liable to pay an amount equal to 2 percent of the amount of stock transfer or other such transactions."*

धारा 4(7)(e) के हिंदी version में तथा उपरोक्तानुसार उद्धृत अंग्रेजी version में भिन्नता होने तथा इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय तथा नैनीताल उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णयों का उल्लेख करते हुए अंग्रेजी के version को प्राथमिकता प्रदान करते हुए प्रश्नगत मामले में संदर्भित धारा में अर्थदण्ड आरोपणीय मानते हुए व्यापारी की प्रथम अपील अस्वीकार कर अर्थदण्ड आदेश को मान्यता प्रदान की गयी है।

4. प्रथम अपीलीय निर्णय से क्षुब्ध होकर व्यापारी द्वारा यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी है, जिसमें व्यापारी द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि धारा 4(7)(e) के अन्तर्गत विशेष प्रवर्ग के माल के स्टॉक ट्रांसफर के संबंध में ही अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकता है, जिसके निर्माण एवं पैकिंग में प्रयुक्त कच्चे माल अथवा पैकिंग मैटिरियल की खरीद फार्म 11 के विरुद्ध की गयी हो। व्यापारी द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि उनके द्वारा निर्मित माल ऑटो बल्ब तथा इलैक्ट्रिकल लैम्प है, जो विशेष प्रवर्ग के माल की श्रेणी में नहीं आते हैं, तद्नुसार उक्त के स्टॉक ट्रांसफर पर इस धारा के अन्तर्गत अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया जा सकता है। व्यापारी द्वारा प्रश्नगत धारा के हिंदी तथा अंग्रेजी के version को उद्धृत करते हुए यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि इस धारा के दोनों versions में किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। इस प्रकार जिन न्यायिक निर्णयों के परिप्रेक्ष्य में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा व्यापारी की अपील अस्वीकार की गयी है, के प्रश्नगत मामले में प्रासांगिक न होने का उल्लेख व्यापारी द्वारा किया गया है। उक्त आधारों पर व्यापारी द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

5. व्यापारी की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री बी.एस.रावत, श्री वीरेन्द्र असवाल तथा श्री राहुल रावत उपस्थित हुए। उनके द्वारा अपील आधारों में उल्लिखित तर्कों को दोहराते हुए सुनवाई के दौरान पुनः इस तर्क पर बल दिया गया कि उनकी इकाई द्वारा निर्मित माल विशेष प्रवर्ग के माल की श्रेणी में नहीं आता है, तद्नुसार प्रश्नगत माामले में धारा Sec 4(7)(e) के अन्तर्गत अर्थदण्ड आरोपणीय नहीं है। विभाग की ओर से विद्वान राज्य प्रतिनिधि एवं डिप्टी कमिश्नर श्री भुवन चन्द्र पाण्डे उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा प्रथम अपीलीय निर्णय को विधि सम्मत होना बताते हुए उक्त की पुष्टि किये जाने की प्रार्थना की गयी।

6. उभय पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों को सुना गया तथा अभिलेखों एवं सुसंगत विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया गया। वाद के संदर्भ में अवधारण का बिन्दु (Point of determination) निम्न प्रकार निर्धारित किया जाता है।

"क्या वाद के तथ्यों एवं परिस्थतियों के परिप्रेक्ष्य में इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि व्यापारी द्वारा निर्मित उत्पाद ऑटो बल्ब एवं इलैक्ट्रिकल लैम्प के उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 4(2)(b)(ii) के अन्तर्गत प्रावधानित अनुसूची III में वर्गीकृत न होने पर भी, उक्त के स्टॉक ट्रांसफर किये जाने पर धारा 4(7) (e) के अन्तर्गत अर्थदण्ड आरोपणीय है अथवा नहीं ?"

7. उपरोक्तानुसार अवधारित बिन्दु के परिप्रेक्ष्य में सर्वप्रथम धारा 4(7)(e) के **अंग्रेजी एवं हिंदी versions** अवलोकनीय है, जो निम्न प्रकार है–

Sec 4(7) (e)

Where a dealer in whose favour a Recognition Certificate has been granted under clause (b) has purchased the goods after payment of tax at concessional rate or, as the case may be, without payment of tax under this sub-section and the Special Category Goods manufactured out of such goods or after packing such with manufactured goods with such packing material are sold or disposed of otherwise than by way of sale in the state or in the course of inter-state trade or commerce or in the course of export, such dealer shall be liable to pay as penalty an amount equal to the difference between the amount of tax on the sale or purchase of such goods payable under this sub-section and the amount of tax payable under any other provisions of this Act.

Explanation: *For determining whether a sale or purchase in the course of inter-state trade or commerce, within the State, or in the course of export out of India, the provisions of section 3, section 4 and section 5 of the Central Sales Tax Act, 1956, shall respectively apply.*

Sec 4(7) (e)

यदि किसी व्यवहारी ने जिसके पक्ष में खण्ड ख के अधीन मान्यता प्रमाणपत्र दिया गया हो, इस उपधारा के अधीन रियायती दर पर कर का भुगतान करके या जैसी भी दशा हो, कर का भुगतान किये बिना माल खरीदा हो और ऐसे कच्चे माल या प्रसंस्कृत सामाग्री से निर्मित विशेष प्रवर्ग के माल या ऐसी संवेष्ठन सामग्री के साथ पैक किये जाने के पश्चात निर्मित माल राज्य के भीतर या अन्तराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान या भारत के क्षेत्र के बाहर निर्यात के दौरान विक्रय से भिन्न रीति से बेचा या निस्तारित किया जाता है, तो ऐसा व्यापारी दण्ड स्वरूप ऐसी धनराशि का देन दार होगा जो इस उपधारा के अधीन ऐसे माल की बिकी पर या खरीद पर कर की धनराशि और इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों के अधीन देय कर की धनराशि के बीच के अन्तर के बराबर हो।

यह अवधारित करने के लिए कि कोई विक्रय या कय अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान राज्य के भीतर या भारत से बाहर निर्यात के दौरान हुआ है या नही कैन्द्र विक्रय कर अधिनियम 1956 की क्रमॉश धारा 3, धारा 4 और धारा 5 लागू होगी।

8. अधिनियम की धारा 4(7)(e) के अन्तर्गत निहित उपरोक्त प्रावधान जो वैट लागू होने की तिथि 01/10/2005 से दिनांक 30/03/2008 तक प्रभावी रहे हैं, के संदर्भ में वाद के तथ्यों तथा अभिलेखों से यह स्पष्ट है कि व्यापारी विभाग में पंजीकृत एक निर्माता व्यापारी हैं, जिनके द्वारा ऑटो बल्ब/इलैक्ट्रिकल लैम्प का निर्माण एवं बिक्री का व्यवसाय किया जाता है। व्यापारी द्वारा धारा 4(7)(b) के अन्तर्गत मान्यता प्रमाण–पत्र प्राप्त इकाई होने के कारण प्ररूप –XI के विरूद्ध रियायती दर से कच्चे माल अथवा पैकिंग मैटिरियल की खरीद किये जाने हेतु अधिकृत हैं। व्यापारी द्वारा संगत वर्ष में उक्त प्ररूप –XI के विरूद्ध रियायती दर से कच्चे माल तथा पैकिंग मैटिरियल की खरीद की गयी है तथा उक्त कच्चे माल/ पैकिंग मैटिरियल से निर्मित/पैक्ड माल का स्टॉक ट्रांसफर किया गया है। अभिलेखों से यह भी स्पष्ट है कि व्यापारी द्वारा निर्मित माल ऑटो बल्ब/ इलैक्ट्रिकल लैम्प है, जो धारा 4(2)(b)(ii) के अन्तर्गत प्रावधानित अनुसूची III में वर्गीकृत नहीं है। उपरोक्त वर्णित समस्त तथ्यों पर उभयपक्षों में कोई विवाद नहीं है। धारा 4(7)(e) के अन्तर्गत निहित विधिक प्रावधानों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि इस धारा के अन्तर्गत अर्थदण्ड केवल उस स्थिति में ही आरोपित किया जा सकता है, जिसमें व्यापारी द्वारा प्ररूप –XI के विरूद्ध रियायती दर से खरीदे गये कच्चे माल अथवा पैकिंग मैटिरियल से निर्मित/पैक्ड किये गये "**विशेष प्रवर्ग के माल**" को राज्य के भीतर या अन्तर्राज्जीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान या भारत के क्षेत्र के बाहर निर्यात के दौरान विक्रय से भिन्न रीति से बेचा या निस्तारित किया गया हो। जैसा कि उल्लेख किया गया है कि व्यापारी द्वारा निर्मित माल ऑटो बल्ब/इलैक्ट्रिकल लैम्प विशेष प्रवर्ग के अन्तर्गत विज्ञापित नहीं है, अतः उक्त के दृष्टिगत प्रश्नगत धारा के अन्तर्गत व्यापारी पर अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया जा सकता है। इस धारा के अन्तर्गत निहित "**विशेष प्रवर्ग के माल**" को विज्ञप्ति संख्या 1314/XXXVI(4)/2008 दिनांक 31/03/2008 से "**माल**" से प्रतिस्थापित किया गया है। चूंकि प्रश्नगत प्रकरण वर्ष **2005–06** से संबंधित है, अतः इस मामले में उपरोक्तानुसार पैरा न0 7 में उद्धृत प्रावधान ही लागू होंगे। व्यापारी द्वारा विशेष प्रवर्ग के माल का निर्माण नहीं किया जाता है, यह न सिर्फ वाद के तथ्यों एवं अभिलेखों से स्पष्ट है, अपितु विभाग द्वारा भी माना गया है, अतः ऐसी स्थिति में धारा 4 (7)(e) के अन्तर्गत अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया जा सकता है। हमारे द्वारा इस धारा के अंग्रेजी एवं हिन्दी version दोनों का अवलोकन किया गया। दोनों versions में Special Category Goods/विशेष प्रवर्ग के माल का उल्लेख किया गया है, जिसमें कोई भिन्नता अथवा विसंगति नहीं पायी गयी है, अतः वाद के संदर्भ में यह विचार किये जाने की आवश्यकता नहीं है कि कौन सा version प्राथमिकता रखेगा। प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपने निर्णय में धारा 4 (7)(e) के जिस अंग्रेजी version का उल्लेख किया गया है, वह त्रुटिपूर्ण है। वस्तुतः इस धारा के अन्तर्गत प्रावधानित विधिक व्यवस्था वह है, जो पैरा न0 7 में उद्धृत की गयी है। इस प्रकार प्रथम

अपीलीय प्राधिकारी द्वारा त्रुटिपूर्ण विधिक प्रावधान उद्धृत करते हुए अपना मत दिया गया है, जो विधिक नहीं है।

9. इस प्रकार वाद के तथ्यों एवं धारा 4 (7)(e) के अन्तर्गत निहित प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में व्यापारी द्वारा द्वितीय अपील में प्रस्तुत तर्कों में बल है, तद्नुसार द्वितीय अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचना के क्रम में प्रथम अपीलीय निर्णय अपास्त किये जाने योग्य पाया गया है।

–:: आदेश ::–

व्यापारी द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील 51/2024 **(वर्ष 2005–06 अक्टूबर 2005, धारा 4 (7)(e))** स्वीकार की जाती है। प्रथम अपीलीय निर्णय दिनांक 29/04/2024 को अपास्त किया जाता है। पत्रवाली दाखिल दफ्तर हो।

ह0/दि0–26/05/2025
(विपिन चन्द्र)
सदस्य,
वाणिज्य कर अपील अधिकरण,
उत्तराखण्ड,हल्द्वानी पीठ।
कैम्प–देहरादून ।

ह0/दि0–26/05/2025
(मलिक मजहर सुलतान)
अध्यक्ष,
वाणिज्य कर अपील अधिकरण,
उत्तराखण्ड,देहरादून।

दिनांकः– 26 मई, 2025

This document was created with the Win2PDF “Print to PDF” printer available at

https://www.win2pdf.com

This version of Win2PDF 10 is for evaluation and non-commercial use only.
Visit https://www.win2pdf.com/trial/ for a 30 day trial license.

This page will not be added after purchasing Win2PDF.

https://www.win2pdf.com/purchase/